कार्यालय नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

क्रमांक : एफ–13 ( ) उपा.आयो–II/ननिज/2023/ 290 दिनांक 8/8/23

सार्वजनिक सूचना

भूखण्ड सं. 79, कृष्णा नगर (जय चामुण्डा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड) जयपुर का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री मन्जू दुग्गड़ पत्नी श्री ललित चंद दुग्गड़ मुख्तयारआम श्रीकविन्द्र चन्द दुग्गड़ पुत्र श्री केशव चन्द के पक्ष में क्षेत्रफल 465.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी ने जरिए रजि0 विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती रेनु बमलवा पत्नी श्री बछराज बमलवा के पक्ष में बेचान किया गया। श्रीमती रेनु बमलवा पत्नी श्री बछराज बमलवा की मृत्यु दिनांक 13.09.2020 को हो चुकी हैं। जिसकी मृत्यु उपरान्त उनके पति श्री बछराज बमलवा पुत्र श्री नेमीचंद व पुत्री मीनाक्षी बमलवा पुत्री श्री बछराज ने जरिए रजि0 हकत्याग पत्र द्वारा आवेदक श्री राहुल बमलवा के पक्ष में अपना हिस्सा हकत्याग किया गया। प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र (अण्डरटेकिंग), पंजीकृत पट्टा मय साइट प्लान की फोटोप्रति, मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति रजि0 हकत्याग पत्र की फोटोप्रति एवं अन्य चैन दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्ड का स्वयं के नाम से नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई मूल दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के आधार पर उक्त भूखण्ड श्री राहुल बमलवा पुत्र श्री बछराज के पक्ष में उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 465 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, आयोजना–द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त (आयोजना द्वितीय)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

D/ Palaning II/ Public Notice 23